बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–8डी0(पुनर्विनियोग–2225)–02–06 / 2026– 324

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता, 0001– बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम'' विपत्र कोड़ 44 2225011900001'' (मॉग संख्या 44) के अर्न्तगत 3104 सहायक अनुदान–वेतन में कुल ₹442.00 लाख (चार करोड़ बियालीस लाख रू0) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से ''मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–01 अनुसूचित जातियों का कल्याण –001–निदेशन और प्रशासन,0001–निदेशन एवं प्रशासन'' विपत्र कोड़–44 –2225010010001'' (मॉग संख्या–44) के अर्न्तगत 2802–संविदा सेवायें ईकाई में कुल ₹21.00 लाख (एक्कीस लाख रू0)(एक्कीस लाख रू0) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव।

आदेश– स्वीकृत।

2– बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष ''मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–01 अनुसूचित जातियों का कल्याण–001– निदेशन और प्रशासन, 0001–निदेशन एवं प्रशासन'' विपत्र कोड़– 44–2225010010001'' (मॉग संख्या–44) के अर्न्तगत 2802–संविदा सेवायें ईकाई में कुल ₹21.00 लाख (एक्कीस लाख रू0) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

4– प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी होगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

06.02.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– संसं0–8डी0(पुनर्विनियोग–2225)–02–06 / 2026–324 पटना,दिनाक– 10/03/2026

प्रतिलिपिः– अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

06.02.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– सं0सं0–8डी0(पुनर्विनियोग–2225)–02–06 / 2026–324 पटना,दिनाक– 10/03/2026

प्रतिलिपिः– अनुसूची के प्रतियों के साथ कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना / सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / अवर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / उप निदेशक(मु0) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा ,अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा (8डी0) / लेखा शाखा / आई0टी0मैनेजर, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06.02.26

सरकार के सचिव

(30

अतिरिक्त / अनुदान
_____के लिए आवेदन–पत्र।
पुनर्विनियोग

ज्ञांप सं0 बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत ''मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–01 अनुसूचित जातियों का कल्याण–001– निदेशन और प्रशासन, 0001–निदेशन एवं प्रशासन'' विपत्र कोड़– 44–2225010010001'' (मॉग संख्या–44) के अर्न्तगत 2802–संविदा सेवायें ईकाई में कुल ₹21.00 लाख (एक्कीस लाख रू0) मात्र का अतिरिक्त उपबन्ध हेतु .....के क्रम में

..... स्वीकृति के लिए

..... को उपस्थापित।

अतिरिक्त / अनुदान
_____ की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।
प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन
_____ पदाधिकारी का पदनाम –प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी।

अतिरिक्त / अनुदान
_____ की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण

पुनर्विनियोग यदि कुछ हो– चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष ज्ञांप सं0 बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–01 अनुसूचित जातियों का कल्याण–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता, 0001–बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम'' विपत्र कोड़– 44–2225011900001'' (मॉग संख्या–44) के अर्न्तगत 3104–सहायक अनुदान– वेतन में कुल ₹442.00 लाख (चार करोड़ बियालीस लाख रू0) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से ''मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–001– निदेशन और प्रशासन, 0001–निदेशन एवं प्रशासन'' विपत्र कोड़–44–2225010010001'' (मॉग संख्या–44) के अर्न्तगत 2802–संविदा सेवायें ईकाई में कुल ₹21.00 लाख (एक्कीस लाख रू0) मात्र का अतिरिक्त का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध प्रस्तावित हैं।

10.02.25
सचिव
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना

स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण।

अनुसूची 53–प्रपत्र सं0–212

अनुदान

अनुदान/विनियोग

सं0 8डी0(पुनर्विनियोग–2225)02–06/2026

मांग संख्या– 44

20309

वृहत शीर्षकः– 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग कल्याण–01–अनुसूचित जातियो का कल्याण–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0001–निदेशन एवं प्रशासन (विपत्र कोड 44– 2225010010001) 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग कल्याण–01–अनुसूचित जातियो का कल्याण–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उककर्मो को सहायता, उपशीर्ष–0001–बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना (विपत्र कोड 44– 2225011900001)

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।(44–2225010010001)							शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित हैं।(44–2225011900001)				
विनियोग की प्राथमिक इकाइयां।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च।	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान।	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा।	विनियोग की प्राथमिक इकाईयां।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च।	प्रत्यर्पित राशि।	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
रू0 0001.2802–संविदा सेवायें	रू0 51000000	रू0 51000000	रू0 53100000	रू0 2100000	रू0 53100000	3104–सहायक अनुदान– वेतन	रू0 44200000	रू0 36200000	रू0 34100000 कुलः–	रू0 2100000 2100000 (एक्कीस लाख रूपये)	रू0 34100000

सचिव 20-02-21

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना

अन्य इकाइयों पुनर्विनियोजित

टिप्पणी– (क) स्तम्भ 1 और 7 में ऐसे लघु और उप–शीर्षक दिखायें जायं, जिनसे इकाई संबंधित हो।

(ख) स्तम्भ 3 या 9 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार रकम को घटाकर, दिखाई जाय।

(ग) स्तम्भ 6 से 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए।

(घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।

(ड.) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनविनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पूरा–पूरा पीठ पीठ पर दिया जाय।